रोजगार गारंटी कानून के तहत आपके अधिकार

काम के लिए आवेदन

1. इस जॉब कार्ड के जरिये आप किसी भी समय काम के लिए आवेदन करने के हकदार हैं।
2. अगर आपने काम के लिए आवेदन किया है तो आपको 15 दिनों के भीतर काम दिया जाना चाहिए।
3. काम के लिए आवेदन एक फॉर्म पर या फिर सादे कागज पर कर सकते हैं।
4. आप अपने आवेदन को ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में जमा करा सकते हैं।
5. जब आप काम के लिए आवेदन करें तो यह तय करें कि आपको तारीख और हस्ताक्षर के साथ आवेदन जमा करने की पर्ची मिले।
6. अगर आपको 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए हकदार हैं।

मजदूरों के हक

7. सभी मजदूर न्यूनतम कानूनी मजदूरी पाने के हकदार हैं।
8. महिलाओं और पुरुषों को समान भुगतान किया जाना चाहिए।
9. मजदूरी का भुगतान प्रति सप्ताह या अधिक से अधिक पन्द्रह दिनों में किया जाना चाहिए।
10. मजदूरी का भुगतान सभी के सामने खुले में किया जाये। जब मजदूरी का भुगतान किया जाये तब मस्टर रोल भी पढ़ा जाना चाहिए और जॉब कार्ड में उसका हिसाब लिखा जाना चाहिए।
11. मजदूरी लेने और उसका लिखित-हिसाब देखने के बाद मस्टर रोल पर हस्ताक्षर करें। कभी भी खाली मस्टर रोल पर हस्ताक्षर न करें।
12. अगर आप काम-काज के जगह से पाँच किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर रहते हैं तो आप यात्रा और गुजारा भत्ते के हकदार हैं।

कामकाज की जगह

13. कामकाज की जगह पर मस्टर रोल उपलब्ध होना चाहिए और उसका सही ढंग से रख-रखाव होना चाहिए। आप किसी भी समय मस्टर रोल को देखने के हकदार हैं।
14. कामकाज की प्रत्येक जगह पर छायादार शेड, पीने का पानी और अनिवार्य चिकित्सा सामग्री होनी चाहिए।
15. अगर काम-काज की जगह पर छः वर्ष से छोटे, पाँच से ज्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पर इन बच्चों की देखभाल की सुविधाएँ अवश्य उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

बेरोजगारी भत्ता

16. अगर आपको आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिला है तो आप 'बेरोजगारी भत्ता' के हकदार हैं।
17. पहले तीस दिनों के लिए बेरोजगार भत्ता न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई होगा और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा।
18. आप बेरोजगारी भत्ते के लिए ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं। (इसके लिए आपको काम के आवेदन के समय दी गई जमा पर्ची दिखानी होगी।)

अपने जॉब कार्ड का ध्यान रखें।

19. यह जॉब कार्ड (फोटो लगा हुआ) आपको मुफ्त में दिया जाना चाहिए। इसके लिए किसी को कोई भुगतान न करें।
20. प्रत्येक एकल परिवार अलग-अलग जॉब कार्ड के लिए हकदार है।
21. इस जॉब कार्ड को अपने साथ रखें आपसे इसको लेने का अधिकार किसी अन्य को नहीं है।
22. जब आपको आपकी मजदूरी दी जाये तो इस जॉब कार्ड में उसका हिसाब आपके सामने ही लिखा जाना चाहिए।
23. यह तय करें कि आपके जॉब कार्ड में कोई गलत हिसाब तो नहीं लिखा गया।
24. अगर जॉब कार्ड गुम हो जाये तो आप नये जॉब कार्ड के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकते हैं।

मदद एवं शिकायत

25. अगर आपको को कोई समस्या हो तो आप सबसे पहले ग्राम पंचायत से संपर्क करें। अगर वहाँ से आपको कोई मदद नहीं मिलती है तो आप ब्लॉक स्तर पर प्रोग्राम ऑफिसर को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
26. अगर आप प्रोग्राम ऑफिसर से कोई शिकायत करें तो यह उसका कर्तव्य है कि आपकी शिकायत को दर्ज करे और सात दिनों के भीतर समुचित कार्यवाही करे।
27. आप इस हैल्पलाईन से भी मदद ले सकते हैं। (हैल्पलाईन का नम्बर ....)